विदेशी मुद्रा की गतिविधियां

1. बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)

स्वचालित मार्ग के तहत पात्र उधारकर्ताओं के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा 23 सितंबर 2011 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 27 के जरिये स्वचालित मार्ग के तहत अनुमत अंतिम उपयोगों के लिए प्रति वित्तीय वर्ष प्रति उधारकर्ता 750 मिलियन अमरीकी डॉलर या उसके समतुल्य राशि तक बढ़ायी गयी थी । सीमा में वृद्धि के परिणामस्वरूप, स्वचालित मार्ग के तहत संशोधित औसत परिपक्वता अवधि संबंधी दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं :-

ए) एक वित्तीय वर्ष में तीन वर्षों की न्यूनतम औसत परिपक्वता वाले 20 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि के बाह्य वाणिज्यिक उधार; और

बी) पांच वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता वाले 20 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि से अधिक और 750 मिलियन अमरीकी डॉलर तक अथवा उसके समतुल्य राशि के बाह्य वाणिज्यिक उधार ।

तदनुसार, 4 दिसंबर 2006 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.17 के जरिये विनिर्दिष्ट औसत परिपक्वता अवधि, पूर्वभुगतान और काल/पुट आप्शन्स (250 मिलियन अमरीकी डालर की अतिरिक्त राशि के लिए) की अपेक्षा हटा दी गयी है ।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्वचालित मार्ग के तहत पात्र उधारकर्ता अनुमत अंतिम उपयोगों के लिए प्रति वित्तीय वर्ष 750 मिलियन अमरीकी डॉलर या उसके समतुल्य राशि तक के विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबीएस) जारी कर सकते हैं । इसी प्रकार, विनिर्दिष्ट सेवा क्षेत्र अर्थात होटल, अस्पताल तथा सॉफ्टवेयर कंपनियां किसी वित्तीय वर्ष में अनुमत अंतिम उपयोगों के लिए 200 मिलियन अमरीकी डॉलर या उसके समतुल्य राशि तक के विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबीएस) जारी कर सकते हैं बशर्ते बाह्य वाणिज्यिक उधार की आगम राशि का उपयोग भूमि के अधिग्रहण के लिए नहीं किया जाना चाहिए ।

स्वचालित मार्ग के तहत सीमाओं में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप, यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान बकाया विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (एफसीसीबीएस) के पुनर्वित्त हेतु लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार/ विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (एफसीसीबीएस) की गणना मौजूदा मानदण्डों के तहत स्वचालित मार्ग के अंतर्गत उपलब्ध 750 मिलियन अमरीकी डॉलर की सीमा के भाग के रूप में की जाएगी ।

(ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 64 ,
5 जनवरी 2012)

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 - माल और सेवाओं का निर्यात - अग्रेषणकर्ता की कार्गो रसीद

यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी, साख पत्र द्वारा समर्थित निर्यात लेनदेनों के संबंध में, नौवहन दस्तावेजों के परक्रामण/वसूली के लिए लदान बिल के बदले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईएटीए) के अनुमोदित एजेंटों द्वारा जारी अग्रेषणकर्ता की कार्गो रसीदों (एफसीआर) को स्वीकार कर सकते हैं, यदि संबंधित साख पत्र में विशेष रूप से इस दस्तावेज के परक्रामण हेतु लदान बिल के बदले में इसे स्वीकार करने का उपबंध हो, भले ही समुद्रपारीय खरीददार के साथ संबंधित बिक्री संविदा में नौवहन दस्तावेज के रूप में लदान बिल के बदले में अग्रेषणकर्ता की कार्गो रसीदों (एफसीआर) को स्वीकार करने का उपबंध न हो ।

इसके अतिरिक्त, प्राधिकृत व्यापारी, अपने विवेकानुसार, निर्यात लेनदेनों के उन मामले में जहाँ वे साख पत्र द्वारा समर्थित न हों वहाँ भी नौवहन दस्तावेजों की खरीद/बट्टा/वसूली के लिए (लदान बिल के बदले) प्रख्यात नौवहन कंपनियों/अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईएटीए) के अनुमोदित एजेंटों द्वारा जारी अग्रेषणकर्ता की कार्गो रसीदों (एफसीआर) को भी स्वीकार कर सकते हैं, बशर्ते समुद्रपारीय खरीददार के साथ उनकी ज्संबंधित बिक्री संविदाट में लदान बिल के बदले नौवहन दस्तावेज के रूप में अग्रेषणकर्ता की कार्गो रसीदों (एफसीआर) को स्वीकार करने का उपबंध हो । तथापि, खरीद/बट्टे के लिए ऐसे अग्रेषणकर्ता की कार्गो रसीदों (एफसीआर) की स्वीकृति पर ऋण देने का निर्णय पूर्णतः संबंधित बैंक का होगा, जिसे अन्य बातों के तहत, लेनदेनों की वास्तविकता और समुद्रपारीय खरीददार तथा भारतीय आपूर्तिकर्ता के ट्रैक रिकार्ड के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए क्योंकि अग्रेषणकर्ता की कार्गो रसीदें (एफसीआर) परक्राम्य (Negotiable) दस्तावेज नहीं

हैं । ऐसे मामलों में, निर्यातकों के लिए समुद्रपारीय खरीददार के बारे में यथोचित सावधानी सुनिश्चित करना औचित्यपूर्ण होगा ।

(ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 65 ,
12 जनवरी 2012)

3. (I) अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों द्वारा ईक्विटी शेयरों में निवेश के लिए योजना (II) अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों द्वारा घरेलू मुचुअल फंडों की रुपए में मूल्यवर्गीकृत यूनिटों में निवेश के लिए योजना - पुनरीक्षण

I. इक्विटी शेयरों में अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश की योजना

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I (एडी श्रेणी I) बैंकों का ध्यान 9 अगस्त 2011 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.8 और 3 नवंबर 2011 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.42 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (उसमें यथा परिभाषित अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों का अर्थ ऐसे अनिवासी निवेशकों से है, जो सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा सेबी के पास पंजीकृत विदेशी जोखिम पूंजी निवेशकों से भिन्न हैं, वे जो 'अपने ग्राहक को जानने' संबंधी सेबी की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं) को उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन घरेलू म्युच्युअल फंडों की रुपए में मूल्यवर्गीकृत यूनिटों में निवेश करने के लिए अनुमति दी गयी है ।

यह निर्णय लिया गया है कि अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों को भारतीय कंपनियों के ईक्विटी शेयरों को प्रत्यावर्तन के आधार पर, खरीदने के लिए परिपत्र में निहित शर्तों के अधीन अनुमति दी जाए ।

(एपी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं. 66,
13 जनवरी 2012)

4. एकल-ब्रांड खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना में संशोधन

मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की अब पुनरीक्षा की गयी है और यह निर्णय लिया गया है कि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 10 जनवरी 2012 के प्रेस नोट सं.1 (2012 सिरीज) में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन सरकारी मार्ग के तहत एकल ब्रांड उत्पाद व्यापार (Single Brand product trading) में 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु अनुमति दी जाएगी ।

(ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.67,
13 जनवरी 2012)

5. जोखिम प्रबंध और अंतर-बैंक लेनदेन - पण्य हेजिंग

अब यह निर्णय लिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पण्य मंडियों/ बाज़ारों में किसी पण्य (सोना, चांदी, प्लैटिनम को छोड़कर) की कीमत से संबंधित जोखिमों की हेजिंग के लिए कंपनियों को मंजूरी प्रदान करने के लिए **सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों** को अनुमति दी जाए जैसा कि प्रत्यायोजित मार्ग के तहत विनिर्दिष्ट है । इसके अलावा, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक यथा विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अधीन अंतर्राष्ट्रीय पण्य मंडियों/ बाज़ारों में किसी पण्य (सोना, चांदी, प्लैटिनम को छोड़कर) के संबंध में किये जाने वाले आयात/निर्यात की कीमत संबंधी जोखिम की हेजिंग के लिए गैर-**सूचीबद्ध कंपनियों** को भी अनुमति दे सकते हैं ।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक प्रत्येक वर्ष हेतु 31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार एक वार्षिक रिपोर्ट एक माह में (30 अप्रैल से पहले) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, अमर बिल्डिंग, 5वीं मंजिल, मुंबई -400001 को प्रस्तुत करेंगे जिसमें पण्य हेजिंग के लिए अनुमति दी गयी कंपनियों के नाम तथा हेज किये गये पण्यों के नाम शामिल होंगे ।

प्रत्यायोजित मार्ग के तहत न आनेवाले हेज लेनदेन करने के लिए ग्राहकों से प्राप्त आवेदन पत्र अब तक की तरह अनुमोदन के लिए प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा रिज़र्व बैंक को प्रेषित किये जाते रहेंगे।

(एपी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 68,
17 जनवरी 2012)

6. बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)- क्रियाविधि को सरल बनाना

मौजूदा क्रियाविधि को सरल बनाने के उपाय के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि बाह्य वाणिज्यिक उधारकर्ताओं से प्राप्त निम्नलिखित अनुरोधों के संबंध में अनुमति देने के लिए नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों को, विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, अधिकार प्रत्यायोजित किये जाएं :

(क) ऋण पंजीकरण संख्या को रद्द करना

स्वचालित और अनुमोदन दोनों मार्गों के तहत लिये गये बाह्य वाणिज्यिक उधारों संबंधी ऋण पंजीकरण संख्या रद्द करने हेतु, नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) से सीधे ही संपर्क कर सकते हैं, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों :-

(i) उसी एलआरएन के विरुद्ध कोई ऋण आहरित न किया गया हो; और

(ii) संबंधित एलआरएन के संबंध में, अद्यतन मासिक ईसीबी-2 विवरणियां, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम), को प्रस्तुत की गयी हों।

(ख) बाह्य वाणिज्यिक उधार राशि के अंतिम-उपयोग में परिवर्तन

नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक, **स्वचालित मार्ग** के तहत लिये गये बाह्य वाणिज्यिक उधारों के अंतिम-उपयोग में परिवर्तन हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधारकर्ताओं से प्राप्त अनुरोधों को, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अनुमोदन प्रदान कर सकते हैं:-

(i) प्रस्तावित अंतिम-उपयोग मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार स्वचालित मार्ग के तहत अनुमति योग्य हों;

(ii) बाह्य वाणिज्यिक उधार की अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन न हों;

(iii) बाह्य वाणिज्यिक उधार मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार हों; और

(iv) एलआरएन के संबंध में आज की तारीख तक (अद्यतन) मासिक ईसीबी-2 विवरणियां सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) को प्रस्तुत की गयी हों ।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक, उक्त आगम राशि के अंतिम उपयोग की निगरानी करते रहेंगे तथा अंतिम-उपयोग में परिवर्तन, फॉर्म 83 में, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम), भारतीय रिज़र्व बैंक को तत्परता से रिपोर्ट करेंगे । तथापि, **अनुमोदन मार्ग** के तहत लिये गये बाह्य वाणिज्यिक उधारों के अंतिम-उपयोग में हुए परिवर्तन, अब तक की भांति, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को संदर्भित/प्रस्तुत करना जारी रखे जाएंगे।

(ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 69, 25 जनवरी 2012)

7. बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति - इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनांस कंपनियाँ

अब यह निर्णय लिया गया है कि नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंकों को **अनुमत मार्ग** के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की इच्छुक इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनांस कंपनियों के ऐसे प्रस्ताव भारतीय रिज़र्व बैंक को अग्रसारित करते समय उनके **लीवरेज़ अनुपात** (अर्थात बाह्य देयाताएं/स्वाधिकृत निधियाँ) को प्रमाणित करना चाहिए।

(ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 70, 25 जनवरी 2012)

8. मुद्रा परिवर्तन कार्यकलाप नियंत्रक अनुदेशों का ज्ञापन

प्राधिकृत व्यक्तियों को अपनी शाखाओं के लिए स्थान का चयन करते समय अधिक लचीलापन उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में अपनाए गये उपायों के मद्देनजर, अब यह निर्णय लिया गया है कि संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों (एफएफएमसी) से एतदर्थ नए लाइसेंस जारी करने के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार करते समय आउटरीच में वृध्दि तथा सुविधायुक्त स्थान होने संबंधी पूर्व मानदण्ड को हटा लिया जाए।

9 मार्च 2009 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 57 {ए.पी.(एफएल सिरीज़) परिपत्र सं. 04} में निहित सभी अन्य अनुदेश यथावत बने रहेंगे।

(ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 71, 30 जनवरी 2012)

9. अनिवासी विनिमय गृहों के रुपया/विदेशी मुद्रा वॉस्ट्रो खाते खोलने तथा बनाये रखने के लिए अनुदेशों का ज्ञापन

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंकों को परिचालनात्मक अधिक स्वतंत्रता देने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि अनिवासी विनिमय गृहों के साथ बैंकों द्वारा की जानेवाली रुपया आहरण व्यवस्थाओं (आरडीएस) के तहत उनके भारत में प्रत्येक रुपया वॉस्ट्रो खाता खोलने तथा बनाये रखने के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की शर्त को हटाया जाए। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंक जब खाड़ी देशों, हाँग काँग, सिंगापुर तथा मलेशिया

के अनिवासी विनिमय गृहों के साथ उपर्युक्त व्यवस्था पहली बार स्थापित करना चाहें तो रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करें। उसके बाद, वे विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अधीन रुपया आहरण व्यवस्थाएं (आरडीएस) स्थापित करें तथा रिज़र्व बैंक को तत्काल सूचित करें।

रुपया आहरण व्यवस्थाओं (आरडीएस) की कुल संख्या 20 पहुंचने पर, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंक अपनी आंतरिक कार्यप्रणाली संतोषजनक रूप से कार्य करने की बात सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत बाह्य लेखा-परीक्षा करवाएं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंकों का बोर्ड, संतोषजनक रिपोर्ट के आधार पर ऐसी और व्यवस्थाओं को प्राधिकृत कर सकते हैं। इस विषय में बोर्ड के संकल्प के साथ बोर्ड नोट की प्रति रिज़र्व बैंक के पास फाइल करें तथा नयी व्यवस्थाओं के बारे में पैराग्राफ 2 में दर्शाये गये अनुसार रिज़र्व बैंक को सूचित करें।

समय समय पर यथा संशोधित 6 फरवरी 2008 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 28 (ए.पी.(एफएल/आरएल सीरीज़)परिपत्र सं. 02) में निहित सभी अन्य अनुदेश यथावत बने रहेंगे।

(ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 72,
30 जनवरी 2012)